कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय का पता:– कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर लक्ष्मी निवास पैलेस के पास, लालगढ़ रोड़, बीकानेर
दूरभाष – 0151-2226557 ईमेल – aayukt.ele@gmail.com

क्रमांकः शिविरा/प्रारं/शालादर्शन/सी/19434/शादविस/वो–II/2019–20/220 दिनांक : 20-11-2020

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, समस्त जिले।

विषयः– शालादर्पण पोर्टल पर राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के आधार व भामाशाह नम्बर अपडेट करवाने बाबत्।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शालादर्पण पोर्टल द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के विद्यालयों, कार्मिकों एवं विद्यार्थियों से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं संधारित की जाती है। इन सूचनाओं का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों हेतु भिन्न–भिन्न स्तरों पर किया जाता है। इसी क्रम में विद्यार्थियों के आधार एवं भामाशाह नम्बर की सूचना भी पोर्टल पर अपलोड करवाई गई है।

राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं यथा– पालनहार, विभिन्न छात्रवृत्ति इत्यादि के लिए आधार तथा भामाशाह नम्बर अत्यन्त आवश्यक है। इन योजनाओं के द्वारा प्राप्त होने वाली राशि का भुगतान भी आधार व भामाशाह से जुड़े बैंक खातों में किया जाता है। आधार व भामाशाह नम्बर के अभाव में विद्यार्थी इन योजनाओं से लाभान्वित होने से वंचित रह सकते है।

विभाग द्वारा समय–समय पर अध्ययनरत विद्यार्थियों के आधार व भामाशाह नम्बर प्राप्त कर शालादर्पण पोर्टल पर अपडेट किए जाने के निर्देश जारी किए गए है परन्तु आदिनांक समस्त विद्यार्थियों के आधार व भामाशाह नम्बर शाला दर्पण पोर्टल पर अपडेट नहीं किए गए है। शालादर्पण पोर्टल से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार विद्यार्थियों के आधार नम्बर की प्रविष्टि का प्रतिशत बहुत कम है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप स्वयं व्यक्तिशः मॉनिटरिंग कर अपने जिले के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के आधार व भामाशाह नम्बर दिनांक 30.11.2020 तक शत–प्रतिशत प्रविष्टि करवाई जानी सुनिश्चित करावें।

www.rajsevak.com

(सौरभ स्वामी)
I.A.S.
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग एवं
पंचायती राज (प्राशि) विभाग,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/प्रारं/शालादर्शन/सी/19434/शादविस/वो–II/2019–20/220 दिनांक : 20-11-2020
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, निदेशक प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
2. उपायुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
3. उपनिदेशक शालादर्पण, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।

4. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा समस्त संभाग को प्रेषित कर लेख है कि अधीनस्थ कार्यालयों को प्रभावी प्रबोधन करते हुए पत्र की पालना निर्धारित समयावधि में सुनिश्चित करावें।
5. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, समस्त को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित अधीनस्थ कार्यालयों से पत्र की पालना निर्धारित समयावधि में करवाने हेतु प्रभावी प्रबोधन प्रदान करें।
6. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी स्कूल शिक्षा समस्त को प्रेषित कर लेख है कि ब्लॉक के समस्त विद्यालयों की आधार व भामाशाह प्रविष्टि को शत–प्रतिशत करवाने हेतु प्रभावी मॉनिटरिंग करें।
7. समस्त पीईईओ/संस्थाप्रधान को प्रेषित कर लेख है कि निर्धारित समयावधि में कार्य की पूर्णता सुनिश्चित करें।
8. सिस्टम एनालिस्ट प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को विभागीय बेबसाईट पर प्रदर्शित करवाने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।